कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–गोण्डा

पत्रांक / मान्यता 1439 / 2023–24 दिनांक – 28, जून, 2023

प्रबन्धक

बी०वी०एस०पब्लिक स्कूल
मेहनिया, बभनान
जनपद–गोण्डा (उ०प्र०)

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 23 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 419 / 79–6–2023–18 (20) / 91 शिक्षा अनुभाग, –06 दिनांक 08 मई, 2013 के अनुपालन में सूच्य है कि "मान्यता की शर्तों के उल्लंधन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

बी०वी०एस०पब्लिक स्कूल के संदर्भ में कार्यालय को मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है, अतः बी०वी०एस०पब्लिक स्कूल की मान्यता स्थायी की जाती है।

कृपया उक्तवत अवगत होने का कष्ट करें।

(अखिलेश प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

B. V. S. Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

B. V. S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upofaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में

श्री मनीष गर्ग
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0/ 5654 /2021-22/लखनऊ दिनांक: 8 मार्च फरवरी, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षो में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनाक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0/ /2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइटिस्ट-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

B. V. S. Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

B. V. S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध
शीर्षप्राथमिकता

संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

मान्यता के सम्बन्ध में

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनाँक: 08 मई, 2013

श्री अशोक राव
समस्त BEO को
वितरित करें।
09.5.13
(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर

शिक्षा अनुभाग–6

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15–12–2012, दिनांक 12–02–2013 एवं दिनांक 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

B. V. S. Public School
PRINCIPAL
Babhnan, Gonda (U.P.)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर

सेवा में
खण्ड शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर

निर्देश- • पत्र का सम्यक अध्ययन कर लें। तदानुसार कार्यवाही • प्रकरण महत्वपूर्ण/समयबद्ध है।
09.5.2013

B. V. S. Public School
MANAGER
Babhnan, Gonda (U.P.)

संलग्नक- कुल 19 पृष्ठ

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर

(14) मूल अधिनियम–2009 एवं अधिनियम–2012 की धारा–1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

B. V. S. Public School PRINCIPAL Tabhnan, Gonda (U.P.)

B. V. S. Public School MANAGER Tabhnan, Gonda

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी0वी0एस0 पब्लिक स्कूल ढ़ढ़ौवा,
मेहानिया, बभनान, गोण्डा।

पत्रांकः मान्यता/ 10967-70 /2017–18 दिनांक : 30-12-2017

विषय–: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम–2010 के 15 के उप नियम–(4) के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 22.07.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं बी0वी0एस0 पब्लिक स्कूल ढ़ढ़ौवा, मेहानिया, बभनान, गोण्डा को पत्र निर्गत तिथि से तीन वर्षों के लिए कक्षा–01 से 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रुप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009(उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।
3. विद्यालय के नर्सरी अथवा कक्षा–1 में बालकों की संख्या–25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बाको के प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा–(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूतियां किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक ओर उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बाल को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

   क. प्रवेश दिये गये किसी भी बाल को विद्यालय में उसकी प्राथमिकता शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेर नहीं किया जायेगा और न उसे विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

   ख. किसी भी बाल को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

B.V.S. Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

B.V.S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)

ग. प्राथमिकता शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

घ. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्यक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

ड़ अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

च. अध्यापकों की भर्ती धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्जित करेंगे।

छ. अध्यापक अधिनियम की धारा–24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथिकत पाठ्चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों एवं सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं–:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:– 4200
कुल निर्मित क्षेत्रफल	:– 2900
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	:–
कक्षाओं की संख्या	:– 10
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष	:– है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	:– है।
पेयजल सुविधा	:– है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	:–
बाधारहित पहुँच	:– है।
अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कारों	:– है।
पुस्तक की उपलब्धता	:– है।

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवनों व अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थ्ल का प्रयोग के शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये

B.V.S. Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

B.V.S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)

जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड–26 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संस्था का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट आदि सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षति हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अनुदेशकों का पालन करता है जो मान्यता प्रबन्धों शर्तों के सतत् अनुपालन सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्नक उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

30/12/17

(सन्तोष कुमार देव पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

पृ0सं0/मान्यता/ /2017–18 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
2. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आपकी आख्या एवं संस्तुति के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि भविष्य में कोई शिकायत या तथ्य गोपन पाया जाता है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

B. V. S. Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

B. V. S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)